संख्या– 226(1)/XXVII(1)/2008

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून :: दिनांक: 07 :जनवरी,2008

विषयः– द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगर पंचायतों को धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ त्रैमास किश्त हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 27 नगर पंचायतों को सलंग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त हेतु **रू0 38157000.00 (रू0 तीन करोड़ इक्यासी लाख सत्तावन हजार मात्र)** की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन संक्रमित की जा रही हैः– (1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो

7/1/2008

वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/नोटीफाइड एरिया/ कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः– 22 (1)/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त) 7/1/2008
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 22 / XXVII (i) / 2007,
दिनांकः 07 जनवरी 2008 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु नगर पंचायतों को चतुर्थ त्रैमास के लिए संकमित धनराशि।

(धनराशि हजार रूपयें में)

क0सं0	निकाय का नाम	संकमित धनराशि
1	2	3
1	बड़कोट	3299
2	नन्दप्रयाग	469
3	कर्णप्रयाग	3053
4	गोचर	2582
5	मुनिकीरेती	1670
6	कीर्तिनगर	469
7	चम्बा	1082
8	डोईवाला	955
9	हरबर्टपुर	2281
10	कालाढूंगी	661
11	भीमताल	962
12	लालकुँआ	1250
13	दिनेशपुर	1952
14	सुल्तानपुर	842
15	केलाखेड़ा	1369
16	शक्तिगढ़	1018
17	महुआ खेड़ा गंज	755
18	महुआडाबरा	990
19	द्वारहाट	1636
20	डीडीहाट	941
21	धारचूला	2695

sfc tps 4kist 07-08

7/1/2008

क0सं0	निकाय का नाम	संकमित धनराशि
1	2	3
22	चम्पावत	939
23	लोहाघाट	1117
24	झबरेड़ा	733
25	लण्डोरा	1252
26	लक्सर	2308
27	देवप्रयाग	877
	योग	38157

(रू0 तीन करोड़ इक्यासी लाख सत्तावन हजार मात्र)

7/11/2008

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।